न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 52/2021
GCMS NO. : 2021/125

-:: प्रार्थीया ::-	बनाम	-:: अप्रार्थीगण ::-
1. गीता पुत्री शिवनाथ जाति-राईका निवासी पाटवा तहसील जैतारण जिला-पाली।		1. सुखीदेवी बेवा घेवरिया 2. रेवतराम पुत्र शिवनाथ 3. देवाराम पुत्र नारायण 4. गुणाराम पुत्र नारायण जातियान-राईका, निवासीगण पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली। 5. तहसीलदार जैतारण जिला पाली। 6. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 26/10/2021

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 04/01/2022**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा पाटवा भू-अभिलेख निरीक्षक बैड़कलां तहसील जैतारण में प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की जमीन खसरा नम्बर 1107 रकबा 3.8850 हेक्टयर यानि 24 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त जमीन वक्त सेटलमेंट के पहले से प्रार्थिया के पिता शिवनाथ के नाम से आई हुई है प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 01 के ससुर व अप्रार्थी संख्या 02 के पिता शिवनाथ काश्त करते थे। वर्तमान में प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 अपने हिस्सा अनुसार काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की वंशावली प्रार्थना-पत्र में अंकित है। उपरोक्त वंशावली अनुसार प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 एक ही परिवार की संतान है घेवरिया लावल्द फौत होने से उनकी पत्नि सुखीदेवी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, मौके पर मुतनाजा जमीन पर प्रार्थिया, अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का संयुक्त कब्जा काश्त आया हुआ है प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 03 व 04 का 1/2 हिस्सा आया हुआ है इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। प्रार्थिया के पिता शिवनाथ की मृत्यु दिनांक को होने पर नामांतरण संख्या के जरिये पटवारी व संरपच ने [illegible] जांच किये बिना ही शिवनाथ के दोनों पुत्रों घेवरिया व रेवंतराम के नाम [illegible] विरासत का नामांतकरण कर राजस्व रेकर्ड रेकर्ड में दर्ज कर दिया [illegible] शिवना[illegible] एक जायन्दा पुत्री गीता जो प्रार्थिया है जिसका नाम राजस्व रेक[illegible] छोड़ दिया, जो [illegible] है। पिछले 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री ने सभी खातेदारान के नाम प्रति छः माह में 2000/- अक्षरे दो हजार रूपये खाते में जमा कराये, लेकिन प्रार्थिया के नाम रूपये जमा नहीं हुए तो प्रार्थिया ने पटवारी के पास दिनांक 25.05.2021 को जाकर पूछताछ की और कहा कि मेरे नाम मेरे खाते में रूपये जमा क्यों नहीं हो रहे है तब पटवारी हल्का-पाटवा ने बताया कि आपका नाम आपके पिताजी की जमीन में उनके मरने के बाद दर्ज नहीं हुआ है इसलिए आपके खाते में प्रधानमंत्री द्वारा रूपये जमा नहीं करवाये गये। तब सर्वप्रथम प्रार्थिया को मालुम पड़ा कि मेरा नाम मेरी पैतृक जमीन में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया शिवनाथ की जायन्दा पुत्री है लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 के पति घेवरिया व अप्रार्थी संख्या 02 ने पटवारी हल्का-पाटवा व संरपच पाटवा से मिलकर अपने अकेले दोनों भाईयों का नाम जरिये फौतेदगी विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया। जबकि प्रार्थिया भी शिवनाथ की जायन्दा पुत्री होने से प्रार्थिया का भी हक व हिस्सा मुतनाजा जमीन में बराबर आता है यानि खसरा नंबर 1107 रकबा 24 बीघा जमीन में 1/2 हिस्से में से प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का बहिस्सा बराबर आता है जबकि मौके पर प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का संयुक्त कब्जा व काश्त शुरू से चला आ रहा है अपने हिस्से माफिक काश्त करते आ रहे है। प्रार्थिया अनपढ औरत है जिसको जानकारी नहीं होने से आजतक राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज नहीं होने का ज्ञान नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज चल रहा है खसरा नंबर 1107 रकबा 24 बीघा जमीन में प्रार्थिया को 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी है। पारी पत्नि नारायण का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज है लेकिन पारी फौत होने से पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि पारी के वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 01 सुखीदेवी के कोई संतान नहीं होने से अपने हिस्से की जमीन का बंटवाड़ा किये बिना एवं गलत इन्द्राज का सुधार किये बिना ही अपने हिस्से से ज्यादा जमीन का बैचान, बक्शीश, रहन, वसीयत करना चाहती है जब तक प्रार्थिया का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो जाता तब तक अप्रार्थी संख्या 01 मुतनाजा जमीन का बैचान, वसीयत, बक्शीश, रहन नहीं कर सकती। जब प्रार्थिया को ज्ञात हुआ कि मेरा नाम मुतनाजा जमीन में दर्ज नहीं है प्रार्थिया का नाम राजस्व रेकर्ड में 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से में दर्ज करवाया जावे, तब अप्रार्थी संख्या 01 की नियत में फर्क आ गया और किसी अजनबी व्यक्ति को राजस्व रेकर्ड में रोंग एन्ट्री का फायदा उठाकर बैचान करना चाहती है यदि अप्रार्थी संख्या 01 रोंग एन्ट्री माफिक जमीन का बैचान कर देगी तो प्रार्थिया अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगी तथा विविध प्रकार के मुकदमें करने पड़ेगे जिससे प्रार्थिया को असीम नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति अप्रार्थी संख्या 01 किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगी। इसलिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 01 को मुतनाजा जमीन का बैचान करने से रोका जावे एवं अप्रार्थी संख्या 06 को रजिस्ट्री का पंजीयन करने से रोका जाना जरूरी है। मुतनाजा जमीन पैतृक पुश्तैनी होने से एवं संयुक्त खातेदारी होने से प्रार्थिया का कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है जिससे प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया केस मजबूत है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में बखूबी साबित है यदि अप्रार्थी संख्या 01 मुतनाजा जमीन का बेचान कर देगी तो प्रार्थिया अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

तथा प्रार्थिया को असीम नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति अप्रार्थिया संख्या 01 नहीं कर सकेगी। इसलिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 01 को पाबन्द किया जावे कि उक्त जमीन का बंटवाड़ा किये बिना एवं गलत इन्द्राज का सुधार किये बिना बैचान नहीं करे और अप्रार्थी संख्या 06 बैचान का पंजीयन नहीं करें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा–पाटवा के खसरा नंबर 1107 रकबा 24 बीघा जमीन पैतृक एवं संयुक्त होने से एवं गलत इन्द्राज का सुधार नहीं होता तब तक किसी प्रकार का बैचान, बक्शीश, रहन, वसीयत इत्यादि अप्रार्थी संख्या 01 नहीं करे और प्रार्थिया के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी अप्रार्थी संख्या 01 नहीं करे, जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा रोका जावें।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। गैरसायल संख्या 02 को बार–बार रुक–रुक कर आवाजें दिलाई गई परन्तु बाद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1,3व4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार खसरा नम्बर 1107 की भूमि मौजा पाटवा कंला में आई हुई होने के कथन सही होने स्वीकार है। लेकिन इस पद में सायला का यह कथन कतई गलत व अस्वीकार है कि उक्त खसरा नम्बर 1107 की भूमि सायला की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होने से सम्बन्धित कथन कतई झूठे है। बल्कि इस खसरा नम्बर 1107 की भूमि में सायला गीता देवी का वक्त सेटलमेन्ट से लगायत आज दिन तक न तो कभी कब्जा काश्त रहा है न ही कोई हक अधिकार रहा है। शिवनाथजी का देहान्त लगभग 55 वर्ष पूर्व हो चुका है। तथा उक्त भूमि सेटलमेन्ट के समय से भी शिवनाथजी के नाम नही होकर गैरसायल संख्या 01 सुखी देवी के पति घेवरराम के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है। इस प्रकार से सायला को इस वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई स्वामित्व व हक अधिकार प्राप्त नही है। इस पद में सायला ने वादग्रस्त भूमि पर शिवनाथजी का कब्जा काश्त एवं हक अधिकार होने से सम्बन्धित कथन भी झूठे अंकित किये है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित वंशावली के तथ्य भी अस्वीकार है जिन्हें सायला स्वयं साबित करे। वक्त सेटलमेन्ट के समय इस वादग्रस्त खसरा नम्बर 1107 के 1/2 वे हिस्से की भूमि पर गैरसायल संख्या 01 के पति घेवरराम का कब्जा काश्त व हक अधिकार था व शेष 1/2 वे हिस्से की भूमि पर गैरसायल संख्या 03 व 04 के पिता नारायणराम का कब्जा काश्त व हक अधिकार रहा था। साथ ही गैरसायल संख्या 01 के पति घेवरराम ने प्रेम व स्नेह वश अपने छोटे भाई रेवतराम का नाम इस वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया था। इस प्रकार से सायला गीता देवी का इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में किसी भी प्रकार का हक अधिकार नही रहा है। न ही वर्तमान में है। प्रार्थना प[illegible] वर्णित अनुसार शिवनाथजी की मृत्यु से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी सबूत साय[illegible] ने अपने इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किये है। जिससे [illegible]बित रह[illegible] की इस पद में वर्णित समय पर शिवनाथजी का देहान्त हुआ [illegible] यह भी उल्लेखनीय है कि सायला

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

की ओर से प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र के दर्ज होने के उपरान्त न्यायालय श्रीमान द्वारा जवाब देहन्दा को प्रार्थना पत्र की जो प्रति प्राप्त हुई उसमें **''शिवनाथ की मृत्यु दिनांक. .... को होने पर नामान्तकरण संख्या........... के जरिये''** में दिनांक एवं नामान्तकरण संख्या दोनो ही उल्लेखित नहीं है। जिससे साबित है कि सायला ने केवल कपोल कल्पित आधारो पर बिना किसी प्रकार दस्तावेजी सबूतो के ही यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है। साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सायला गीता देवी की शादी, गौना मुकलावा एवं अन्य सामाजिक रिति रिवाज अनुसार किये गये खर्चे में घेवरराम व गैरसायल संख्या 01 ने लाखों रुपये खर्च कर दिये। सायला गीता देवी इस वादग्रस्त भूमि से हमेशा ही आउट ऑफ पजेशन रही है। साथ ही राजस्व रेकर्ड में घेवरराम के नाम का अंकन विधिक प्रावधानो अनुसार सही दर्ज हुआ है। घेवरराम के देहान्त उपरान्त उक्त वादग्रस्त भूमि गैरसायल संख्या 01 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस वादग्रस्त जायदाद में गैरसायल संख्या 01 के हक हिस्से की भूमि गैरसायल संख्या 01 की निजी स्वामित्व की स्वअर्जित जायदाद की तारीफ में आने वाली भूमि है। जिस पर गैरसायल संख्या 01 को पूर्णस्वत्वः प्राप्त होने इस भूमि को अन्य हस्तान्तरण करने का भी गैरसायल संख्या 01 को पूरा हक व अधिकार प्राप्त है। साथ ही इस भूमि को जरिये रहन, बैचान, वसियत के अन्य हस्तान्तरण करने का भी गैरसायल संख्या 01 को पूरा हक व अधिकार प्राप्त है। सायला किसी भी प्रकार से इस वादग्रस्त भूमि में अपने खातेदारी हक अधिकारो की घोषणा करवाने की अधिकारीणी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित अनुसार भारत के प्रधानमंत्री ने सभी खातेदारों के नाम प्रति छः माह में दो हजार रुपये या अन्य कोई राशि न तो कभी जमा करवायी है न ही प्रधानमंत्री द्वारा काश्तकारों के राजस्व खातो में राशि जमा करवायी जाने का कोई प्रावधान है। इस प्रकार से जब इस वादग्रस्त भूमि में सायला का किसी भी प्रकार से कोई स्वामित्व व हक अधिकार ही नहीं रहा है तो उसके नाम राशि जमा नही होने से सम्बन्धित कथन स्वत्व ही झूठे व बेबूनियाद होने साबित है। इस पद में दिनांक 25.05.2021 को सायला द्वारा हल्का पटवारी से इस बाबत पुछताछ करने व उसके बाद हल्का पटवारी द्वारा जानकारी देने से सम्बन्धित कथन भी सायला ने प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से झूठे अंकित किये है। जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन व जवाब देहन्दागण पर लगाये गये आरोप कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायला शिवनाथ की पुत्री हो ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत भी सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नही किया है। साथ ही इस प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि एक मात्र घेवराराम के कब्जे काश्त व हक अधिकार में सेटलमेन्ट के समय से चली आ रही होने से राजस्व रेकर्ड में घेवरराम के नाम से दर्ज हुई तथा इस भूमि पर सायला या शिवनाथजी का कभी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार न तो कभी [illegible] है। सायला के पास पाटवा गांव का निवासी होने के बाबत पहचान से सम्बन्धित कोई दस्तावेज भी नहीं है। जिससे भी साबित है कि सायला पाटवा गांव में कभी न रही है। इसलिये सायला का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार कभी नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

रहा है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। इस भूमि पर शिवनाथ या सायला का सेटलमेन्ट से लगायत आज दिन तक न तो कभी कोई कब्जा काश्त रहा है। न ही कोई हक अधिकार रहा है। इसलिये सायला का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही हो सकता। इस प्रकार से सायला अपने खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा करवाने की कतई अधिकारीणी नही है। इस भूमि के रेकर्डेड खातेदार पारी देवी को यद्यपि प्रार्थना पत्र पक्षकार नही बनाया गया है। लेकिन पानी देवी के कायम मुकामान गीता देवी पुत्र पारी देवी, तुलसी देवी पुत्री पारी देवी, कमला देवी पुत्री पारी देवी को भी सायला ने जान बूझकर इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र पक्षकार नही बनाया है जो कि प्रोपर व आवश्यक पक्षकार है। इसलिये भी सायला का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1107 रकबा 3.8850 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के 1/4 वे हिस्से के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार गैरसायल संख्या 01 सुखी देवी है तथा सायला इस वादग्रस्त भूमि से पूर्णतया आउट ऑफ पजेशन रही है। तथा वर्तमान में भी आउट ऑफ पजेशन है। साथ ही इस पद में वर्णित अनुसार राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने से सम्बन्धित आरोप भी कतई गलत है। बल्कि सायला का इस वादग्रस्त भूमि में कोई हक व अधिकार भी प्राप्त नही है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 08 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सायला का कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नहीं रहा था। न ही वर्तमान में है। इसलिए समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायला की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। सायला ने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यो का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में अतिरिक्त कथन किये जिसमें सायला का यह प्रार्थना-पत्र म्याद बाहर होना एवं वादग्रस्त भूमि सायला के आउट ऑफ पजेशन होना के कथन किये है। साथ ही सहहिस्सेदार पारी देवी एवं उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाने के कथन किये।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** वाद-पत्र मय दस्तावेजात, हस्तगत प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेजात का अवलोक[illegible] है कि प्रार्थिया/वादी द्वारा ग्राम पाटवा में स्थित वादग्रस्त आराजी [illegible]म्बर 1107 रकबा 3.8850 हैक्टर किस्म बारानी दोयम [illegible] पुश्तैनी [illegible]युक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि बताते हुए वाद [illegible] एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

88, 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01,03 व 04 ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में प्रार्थीया के अभिकथनों का खण्डन करते हुए यह अभिकथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी नहीं है तथा प्रार्थिया वादग्रस्त आराजी में आउट ऑफ पजेशन होने से प्रार्थिया को कोई हक-अधिकार प्राप्त नहीं है। मूल वाद की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2021-24 ग्राम पाटवा में अंकित नामान्तरण के नोट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी तत्कालीन खातेदार पुना के स्थान पर उनके वारिसान शिवराम व नारायण के नाम स्वीकृत किया गया। जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 ग्राम पाटवा में अंकित ना.सं. 509 के नोट के अनुसार वादग्रस्त आराजी तत्कालीन खातेदार शिवराम के फौत होने पर उसके वारिसान-घेवरिया व रेवतीया के नाम स्वीकृत किया गया। जमाबंदी ग्राम पाटवा संवत् 2074-2077 का अवलोकन किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 02 'रेवतराम पुत्र शिवनाथ' एवं प्रतिवादी संख्या 01 'सुखी देवी पत्नी घेवरराम' अंकित है। अतः मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से हक-अधिकार निहित होता है। साथ ही विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पिता के निर्वसीयत फौत होने पर उसके सभी वारिसानों का उसकी संपत्ति में हक-अधिकार निहित होता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित अन्य कथन वाद में साक्ष्य लेकर अंतिम रूप से विनिश्चय किये जाने योग्य बिंदू है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। वाद-पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित हुआ है। चुंकि प्रार्थिया द्वारा अपने पिता की पैतृक आराजी में उसके हक-हिस्सों की घोषणा का दावा किया है अतः प्रार्थिया के हक तक वादग्रस्त आराजी में सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में ही निहित होना साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थीया के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा भू-अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को हस्तांतरित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं प्रार्थिया को सुगम न्याय निर्णयन में अधिकाधिक विलंब एवं जटिलता का सामना करना पडेगा। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया के हक अंकित प्रार्थना-पत्र में वर्णनानुसार अपने हक-अधिकार की आराजी अन्य किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seervi
Date: 2022.01.20 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

असुविधा होगी। इस प्रकार यदि प्रार्थिया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थिया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा पाटवा भू–अभिलेख निरीक्षक बैड़कलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1107 रकबा 3.8850 हेक्टयर यानि 24 बीघा किस्म बारानी दोयम का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 04/01/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested